केंद्रीय सूचना आयोग
२, तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- ११००६६

No.3/2/2017/Admin./CIC/ST/01143

Dated: 16.10.2017

[redacted]

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनाक 6.9.2017 का आवेदन इस अनुभाग में 18.9.2017 को आर टी आई अनुभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ. आपके दवारा मांगी गयी बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

आपके शिकायत-पत्र के निस्तारण हेतु आयोग में जो कारवाई की गई हैं, उससे आपको एवं राजभाषा विभाग को आयोग के पत्र संख्या 38/4/2016- प्रशा./के.सू.आ. दिंनाक 13.10.2017 के तहत अवगत कराया जा चुका हैं (प्रतिलिपि सलंग)।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय आधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं ।

सविता 16.10.17
(सविता तलूजा)
अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: ,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL

16/10/17

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
16 OCT 2017
D. No.
Initials

केन्द्रीय सूचना आयोग
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली -110066

फाईल सं. 38/4/2016-प्रशा०/के.सू.आ. दिनांक : 13.10.2017

सेवा में,

श्री जयप्रकाश उपाध्याय
ग्रा.+पो. – वसंतपुर
भाया – वीरपुर,
जिला – सुपौल (बिहार)

विषय : देश के शीर्ष केंद्रीय प्रतिष्ठानों में हिंदी की उपेक्षा के सन्दर्भ में ।

सन्दर्भ : राजभाषा विभाग पत्रांक सं १२०१९/०१/२०१६-रा.भा.(शिका.)/निक्षेपित-4 दिनांक 27.07.2016

आयोग को उपरोक्त विषयांतर्गत राजभाषा विभाग से पत्रांक सं १२०१९/०१/२०१६ रा.भा. (शिका.)/ निक्षेपित-4 दिनांक 27.07.2016 प्राप्त हुआ, जिसके साथ आपके द्वारा राजभाषा विभाग को भेजा गया शिकायत पत्र भी संलग्न है ।

आयोग द्वारा आपके पत्र पर गहन विचार किया गया, तत्पश्चात आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा यह दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है कि **"आयोग में हिंदी में आए सभी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य होगा"** । वर्तमान में आयोग के सचिवालय में हिंदी में आए पत्रों का जवाब पूर्णतः हिंदी में ही दिया जा रहा है ।

पत्र का जवाब देने में देर होने के कारण हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूँ ।

(एस पी बेक)
संयुक्त सचिव(प्र)

प्रतिलिपि :-

१. राजभाषा विभाग, एन डी सी सी –II भवन, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली – ११०००१